**उत्तर प्रदेश शासन**
**ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-2,**
**संख्या-52/2017/03मं0आ0/92-2-17-10जॉच/2016**
**लखनऊ:: दिनांक:: 19 अप्रैल,2017**

**कार्यालय-ज्ञाप**

**जनपद चित्रकूट में ग्रामीण अभियंत्रण विभाग द्वारा डा0 राम मनोहर लोहिया समग्र ग्राम विकास योजनान्तर्गत ग्राम कोपा विकास खण्ड-मऊ (चित्रकूट) में केसी0 ड्रेन व सी0सी0 रोड के निर्माण कार्यों में की गयी अनियमितताओं के फलस्वरूप अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-चित्रकूट की जांच आख्या दिनांक 06.09.2016 के अनुसार रू0 2,56,333.00 की शासकीय क्षति हेतु प्रथम दृष्टया उत्तरदायी पाये जाने पर शासन के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-11/2017/2160/92-2-17-10(जांच)/2016 दिनांक 04.01.2017 द्वारा श्री एन0के0 त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-मिर्जापुर को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करते हुये उनके विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम-7 के अंतर्गत अनुशासनिक कार्यवाही संस्थित करते हुये प्रकरण की जॉच हेतु मुख्य अभियन्ता(पश्चिमी क्षेत्र), ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित कर श्री एन0के0 त्रिपाठी को कार्यालय निदेशक एवं मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ से सम्बद्ध किया गया। इसी मध्य अपचारी अधिकारी, श्री एन0के0 त्रिपाठी अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण करके दिनांक 28.02.2017 को सेवानिवृत्त हो गये हैं। अतएव अपचारी अधिकारी, श्री एन0के0 त्रिपाठी के विरूद्ध उ0प्र0 सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली,1999 के नियम'-7 के अन्तर्गत शासन के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.01.2017 द्वारा संस्थित अनुशासनिक कार्यवाही को सी0एस0आर0 के नियम-351ए में परिवर्तित किये जाने की एतद्द्वारा श्री राज्यपाल संहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।**

**श्री राज्यपाल के आदेश से,**

**सुरेश चन्द्रा**
**प्रमुख सचिव।**

**संख्या-52/2017/03मं0आ0(1)/92-2-2017 तददिनांक।**

**प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-**

**1- निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ।**
**2- श्री एन0के0, त्रिपाठी, तत्कालीन अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड-चित्रकूट सम्प्रति प्रभारी अधीक्षण अभियन्ता, परिमण्डल-मिर्जापुर (सेवानिवृत) द्वारा निदेशक एवं मुख्य अभियंता, ग्रा0अ0वि0,उ0प्र0 लखनऊ।**
**3- जांच अधिकारी/मुख्य अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, पश्चिमी क्षेत्र, उ0प्र0 लखनऊ।**
**4- अनुसचिव, ग्रामीण अभियंत्रण अनुभाग-1**
**5- गार्ड फाइल।**

**आज्ञा से,**

**( बाबूराम )**
**संयुक्त सचिव।**

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in